भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3898
11/08/2026 को उत्तर के लिए

तटीय मछुआरों को सहायता

3898. श्री गोडम नागेश :

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में कुल मत्स्य उत्पादन का वर्ष - वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या पिछले वर्षों की तुलना में मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हुई है या कमी आई है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान तटीय मछुआरों के कल्याण और आजीविका के लिए कार्यान्वित वित्तीय सहायता और विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने तटीय क्षेत्रों में मत्स्यन बंदरगाहों, मत्स्य लैंडिंग केंद्रों और अन्य मत्स्यपालन अवसंरचना के विकास के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) ऐसी योजनाओं के तहत जारी की गई धनराशि और लाभांवित लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख): देश में वार्षिक मत्स्य उत्पादन में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है, जो वर्ष 2020-21 के 147.25 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 197.75 लाख टन हो गया है। वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान वर्षवार मत्स्य उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है::

क्रम संख्या	**वर्ष**	**मत्स्य उत्पादन (लाख टन में)**
1	2020-21	147.25
2	2021-22	162.48
3	2022-23	175.45
4	2023-24	183.93
5	2024-25	197.75

(ग) से (ङ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय देश में तटीय मछुआरों के कल्याण सहित मात्स्यिकी के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है।

(i) **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई):** विभाग देश में मछुआरों और मत्स्य किसानों के कल्याण सहित मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 20,750 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ वित्तीय वर्ष 2020-21 से पीएमएमएसवाई को कार्यान्वित कर रहा है।

(ii) **मात्स्यिकी एवं जलकृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF):** मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए अवसंरचना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, एफआईडीएफ को वर्ष 2018-19 में 7522.48 करोड़ रुपये के कुल कोष राशि के साथ लॉन्च किया गया था। FIDF, चिन्हित मात्स्यिकी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों सहित योग्य संस्थाओं (ईई) को रियायती वित्त प्रदान करता है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार नोडल ऋणदात्री संस्थाओं (एनएलई) द्वारा कम से कम 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर रियायती वित्त प्रदान करने के लिए 12 साल की पुनर्भुगतान अवधि के लिए 2 वर्ष की अधिस्थगन सहित 3% प्रति वर्ष तक की ब्याज छूट प्रदान करता है।

(iii) **प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना (PMMKSSY):** मात्स्यिकी क्षेत्र को अधिक सुदृढ़ बनाने तथा मत्स्य मूल्य श्रृंखला में दक्षता के अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत ₹6,000 करोड़ के निवेश से "प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई)" नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। PM-MKSSY का उद्देश्य मात्स्यिकी क्षेत्र को औपचारिक बनाना, जलकृषि बीमा को प्रोत्साहित करना, मात्स्यिकी सूक्ष्म और लघु उद्यमों की मूल्य-श्रृंखला की दक्षता में सुधार करना तथा सुरक्षित मत्स्य उत्पादन के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता प्रणालियों का अंगीकरण आदि है।

(iv) **मछुआरों और मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सुविधा:** इसके साथ ही, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से मछुआरों और मत्स्य पालकों को उनकी कार्यशील पूंजी की ज़रूरतों को पूरा करने में सहायता प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सुविधा का विस्तार किया है।

PMMSY और FIDF के तहत मत्स्य बंदरगाहों, मत्स्य अवतरण केन्द्रों तथा मत्स्य अवसंरचना सुविधाओं का विकास एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में परिकल्पित किया गया है तथा इसके लिए सहायता प्रदान की जाती है। PMMSY के तहत, मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार ने विगत पांच वर्षों में कुल 3,741.89 करोड़ रुपए की लागत से 28 फिशिंग हार्बर विकास/आधुनिकीकरण परियोजनाओं, 25 फिश लैंडिंग सेंटर परियोजनाओं और 23 ड्रेजिंग परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है। FIDF के तहत, मत्स्यपालन विभाग

भारत सरकार द्वारा विगत पाँच वर्षों के दौरान 94 फिशिंग हार्बर एवं फिश लैंडिंग सेंटर को अनुमोदित किया गया है। इन परियोजनाओं की कुल लागत ₹4,916.46 करोड़ है, जबकि ब्याज अनुदान हेतु पात्र परियोजना लागत ₹3,651.19 करोड़ तक सीमित रखी गई है। मत्स्यपालन विभाग भारत सरकार ने PMMSY और FIDF के तहत, तटीय इलाकों समेत देश भर में कोल्ड चेन और मार्केटिंग सुविधाओं के विकास के लिए 2,797 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंज़ूरी दी है। स्वीकृत प्रमुख गतिविधियों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 775 शीत भंडारण और बर्फ संयंत्र, मत्स्य परिवहन सुविधाओं की 28,489 इकाइयाँ जैसे आइस बॉक्स के साथ 13,718 मोटरसाइकिलें, आइस बॉक्स के साथ 8,527 साइकिलें, 4,257 ऑटो रिक्शा, 1,577 इंसुलेटेड ट्रक और 410 रेफ्रिजरेटेड ट्रक, 1,394 जीवित मत्स्य विक्रय इकाइयाँ, 6,018 फिश कियोस्क, 117 खुदरा मत्स्य बाज़ार और 24 थोक मछली बाज़ार शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान PMMSY के तहत स्वीकृत की गई परियोजनाओं**,** जारी की गई धनराशि और लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

तटीय मछुआरों को सहायता के संबंध में 11 अगस्त, 2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3898 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत 2020-21 से 2025-26 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं, जारी केंद्रीय हिस्सेदारी और केंद्रीय निधि और लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार विवरण।

क्रम संख्या	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	रुपए करोड़ में			लाभार्थियों की संख्या
		परियोजना लागत	केंद्रीय शेयर	जारी केंद्रीय निधि	
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	269.84	245.33	17.09	2025
2	आंध्र प्रदेश	2,328.89	681.38	444.95	531991
3	अरुणाचल प्रदेश	230.31	159.18	127.09	6848
4	असम	541.63	298.44	218.51	127019
5	बिहार	579.62	193.12	121.93	85362
6	छत्तीसगढ	956.86	321.01	272.37	223578
7	दिल्ली	5.33	2.86	1.63	45
8	गोवा	147.24	72.19	53.05	803
9	गुजरात	910.75	346.74	173.35	40292
10	हरियाणा	760.87	262.16	162.75	28148
11	हिमाचल प्रदेश	156.03	79.93	78.91	25012
12	जम्मू और कश्मीर	154.57	81.43	79.61	90446
13	झारखंड	472.63	166.58	118.50	15944
14	कर्नाटक	1,053.60	380.32	328.29	152228
15	केरल	1,329.63	570.49	432.22	1012025
16	लद्दाख	33.49	20.10	12.17	864
17	लक्षद्वीप	62.45	44.22	14.42	4096
18	मध्य प्रदेश	910.81	305.51	292.27	138688
19	महाराष्ट्र	1,601.44	593.33	392.11	73733
20	मणिपुर	201.82	95.84	29.92	9791
21	मेघालय	132.62	74.26	65.44	8360
22	मिजोरम	154.17	85.61	83.52	92879
23	नागालैंड	168.33	109.56	89.17	13755
24	ओडिशा	1,301.19	484.66	361.35	91558
25	पुदुचेरी	351.26	296.44	92.40	164702
26	पंजाब	162.23	46.96	29.46	6400
27	राजस्थान	70.38	24.53	8.90	8397
28	सिक्किम	83.68	51.70	43.98	2631
29	तमिलनाडु	1,236.21	474.99	223.02	1198127
30	तेलंगाना	353.02	112.69	41.19	435123
31	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	129.89	127.16	1.79	42

32	त्रिपुरा	262.93	150.60	91.45	66147
33	उत्तरप्रदेश	1,294.32	412.30	336.61	52124
34	उत्तराखंड	317.25	170.20	166.68	17339
35	पश्चिम बंगाल	546.38	223.19	87.04	5666
क	**कुल (सीएसएस)**	**19,271.67**	**7765.01**	**5,093.16**	**4732188**
ख	पीएमएमएसवाई के केंद्रीय क्षेत्र योजना घटक	2,312.92	1,929.68	1,112.62	-
क+ ख	**कुल (CSS + CS)**	**21,584.59**	**9,694.69**	**6,205.78**	**4732188**
